संख्या-जीआई-200/38-4-2002-4/2000टीसी-4

प्रेषक,

आर0 चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ::दिनांक:: 19 सितम्बर, 2002

विषय- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मा0 सांसदगण एवं मा0 विधायकगण की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2363/38-4-02-4/2000टीसी-4, दिनांक 27-7-02 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कियान्वयन में मा0 सांसदगण एवं मा0 विधायकगण की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किया गया है ।

2- भारत सरकार के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में इस योजना के कियान्वयन में मा0 सांसदगण की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की जा रही है। भारत सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि इस योजना के परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में मा0 सांसदगण एवं अन्य मा0 जनप्रतिनिधियों से परामर्श किया जाये तथा योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण में बिना किसी अपवाद के क्षेत्रीय सांसद से शिलान्यास कराया जाय । इस हेतु विधिवत समारोह आयोजित किया जाय, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाये । इसकी सूचना मा0 जनप्रतिनिधिगण को सुसंगत एवं युक्तियुक्त माध्यम से दी जाय । ऐसी व्यवस्था प्रत्येक मामले में सुनिश्चित की जाय ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

(आर0 चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।